तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-04-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] से [illegible] रहे हैं। सुनान ~~आज~~ [illegible] [illegible] अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14-05-24 को पेश हो। [signature]	
14-05-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण। लगायत 2 की तलबी तामिल हो चुकी है। वास्ते जवाब अप्रार्थीगण पत्रावली आगामी दिनांक 11-06-24 को पेश हो। [signature] स्वीकार	
11-06-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण। लगायत 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनका जवाब बंद कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। बहस समाप्त पत्रावली की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

16/प्रा0पत्र/2023
दायरा दिनांक 16.05.2023

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

लोकेश कुमार जैन पुत्र हनुमानप्रसाद जैन जाति महाजन निवासी सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल आ0 भैरू जाति माली निवासी ग्राम खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थिगण

अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः– 1. श्री बालकिशन रायक(अधिवक्ता प्रार्थी)
2. अनुपस्थित(अधिवक्ता अप्रार्थिगण 1 लगायत 2)

दिनांकः–11.06.2024

निर्णय

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 65 नयी, पुरानी 35 के खसरा संख्या 313/2 रकबा 0.22 है0 किस्म नहरी द्वितिय वाके ग्राम खेडली माफी पटवार हल्का सु0मण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदर अंकित है। प्रार्थी भूमि पर काबिज काश्त है एवं कृषि कार्य प्रतिवर्ष करता चला आ रहा है। उक्त वाद विषयंक आराजी को अप्रार्थी सं 1 ने दिनांक 24.06.2016 को जर्ये विक्रयपत्र से खसरा संख्या 313 रकबा 1.02 है0 में से रकबा 0.22 है0 को क्रय किया था और मौके पर कब्जा सम्भला दिया था किन्तु प्रार्थी बाहर गांव रहने का फायदा उठाकर अप्रार्थी सं 1 उत्तरी पूर्वी तरफ की रकबा 0.22 है0 कृषि भूमि पर जबरन ताकत के बल पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी को कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी प्रार्थना में वर्णित खाते की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु अप्रार्थी सं 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करावे। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं 1 को मौखिक रूप से समझाने का प्रयास किया किन्तु वह लडाई झगडा करने पर आमादा है यही वाद उत्पत्ति का कारण है तभी से लगातार उत्पन्न हो रहा है। अप्रार्थी सं 1 को वाद विषयक आराजी पर पक्का निर्माण करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है सुविधा का सन्तुलन का भार और अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। अन्त में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं 1 को प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 313/2 रकबा 0.22 है0 के उत्तरी भाग पर पक्का निर्माण कार्य नही के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करें। न तो स्वयं करे नही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थिगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनका जवाब बंद कर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। हमने प्रार्थना पर प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पंत्र में अंकित बिन्दुओं का दौहराव करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। बहस समाहत पत्रावली की गयी।

हमने विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2075–78 वाके ग्राम खेड़लमाफी पटवार हल्का सुमेरगजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ से स्पष्ट है कि प्रार्थी लोकेश पुत्र हनुमान प्रसाद खसरा संख्या 313/2 रकबा 0.22 है0 का रिकॉर्डेड खातेदार है। पत्रावली पर उपस्थित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक दिनांक 24.06.2016 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी सं 1 बद्रीलाल आ0 भैरू जाति माली ने कृषि भूमि खाता संख्या 41 खसरा संख्या 313 रकबा 1.02 है0 में से 0.22 है0 प्रार्थी को 2,00,000 रु प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दी गयी है जिससे प्रार्थी का नाम वाद विषयक आराजी पर बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं 1 द्वारा वाद विषयक कृषि भूमि का बेचान प्रार्थी के पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड बेचान पंत्र से कर दिया गया है यदि अप्रार्थी सं 1 खातेदार प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल कर पक्का निर्माण करने में सफल हो

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। ऐसी परिस्थिति में सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होना प्रतीत होता है। प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है और उनके अधिकार की सुरक्षा करना आवश्यक है। हमारे मत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद तक अप्रार्थी सं 1 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थी की खातेदारी वाद विषयक कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण इत्यादि नहीं करें, मौके की स्थिति को परिवर्तन नहीं करें न जो स्वयं करें न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 11–06–2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)